



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6209

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41802 वर्ष 2025

सीटू सिकरानी उर्फ रितिक

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रशांत कुमार, शिवेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को इससे पहले इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2023 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। वह 07.07.2025 को सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका और उसके बाद उसकी जमानत रद्द कर दी गई और वह 04.09.2025 से जेल में है।

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि उनकी माता की बीमारी के कारण वे सात तारीखों पर अवर न्यायालय में पेश नहीं हो सके। आवेदक 04.09.2025 से जेल में है और उसके नाम पर एक आपराधिक मामला दर्ज है।

दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, उपर्युक्त उल्लिखित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

मुकदमा अपराध संख्या 620/2021, धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी और 34 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन ट्रॉनिका सिटी, जिला गाजियाबाद में आरोपी, सीतु सिकरानी उर्फ रितिक को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- (iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ट्रायल न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
- (v) आवेदक ट्रायल न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना। यदि ट्रायल न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक के मुकदमे को यथाशीघ्र समाप्त करे, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, आवेदक को कोई अनुचित स्थगन दिए बिना।

9 जनवरी 2026

रोहित.

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।